In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification Notes/2020/9(120)/ XXVII(8)/ 2017 dated & September, 2020 for general information.

Government of Uttarakhand Finance Section-8 No.726/2020/9(120)/XXVII(8)/2017 Dehradun : Dated: 28 September, 2020

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 96 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017) read with rule 103 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 and in supersession of the notification of Government of Uttarakhand, No. 800/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 12th October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor, is pleased to allow to appoint Shri Anurag Mishra, Joint Commissioner State Tax, Headquarters Dehradun, as a member of the "Uttarakhand Authority for Advance Ruling".

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 संख्या / 2020 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 देहरादूनः: दिनांकः:- २८ सितम्बर, 2020

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं० ०६ वर्ष 2017) की धारा 96 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 103 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 800/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को सिवाय उन बातों के अधिक्रमित करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी थी या जिनके किये जाने का लोप किया गया था, ''उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण'', के सदस्य के रूप में श्री अनुराग मिश्रा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय देहरादून को नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सचिव

सं0 7-26/2020/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2-निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन। 4-अपर सचिव, वित्त-८, उत्तराखण्ड शासन। 5-एन०आई०सी० 6–गार्ड फाईल हेत्।

द्रावश्यक क्लर्यवाही यहर 29 9 20 अपर अस्यूक्त-अणिकत कर

उत्तराखण्ड, देहादल

(बी0बी0मटपाल)

अपर सचिव